कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

अति आवश्यक

महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) योजनान्तर्गत संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में शासन के दिशा–निर्देश क्रमांकः प.04(15) शिक्षा–1/2019 जयपुर, दिनांकः 14.06.2019 में प्रति वर्ग (Section) अधिकतम प्रवेश संख्या सीमा के सम्बन्ध में प्रावधान उल्लिखित है। कुछ विद्यालय जिनमें पर्याप्त स्थान/कक्षाएं उपलब्ध है, मानदण्डानुसार अधिकतम प्रवेश संख्या सीमा से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, वर्तमान में उन विद्यालयों में क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

यह भी ध्यातव्य है कि कुछ विद्यालयों में अधिक प्रवेश की क्षमता होने के बावजूद निम्न (Feeder) कक्षाओं में प्रवेश की उच्चतम सीमा अपेक्षाकृत रूप से कम होने के कारण उच्च कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम संख्या सीमा अथवा विद्यालय की क्षमता के अनुसार प्रवेश नहीं होने से नामांकन में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः विद्यार्थियों तथा विभाग हित में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

विद्यालय में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता की स्थिति में संस्था प्रधान निम्नांकित अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें :–

1- कक्षा 1 से 5 तक में प्रति वर्ग (Section) के लिए अधिकतम प्रवेश की संख्या 30 से 50% अधिक, **अर्थात्** 45 प्रवेश संख्या तक प्रवेश दे सकेंगे।

2- कक्षा 6 से 8 तक में प्रति वर्ग (Section) के निर्धारित अधिकतम प्रवेश की संख्या 35 से 50% अधिक, **अर्थात्** 53 प्रवेश संख्या तक प्रवेश दे सकेंगे।

3- कक्षा 9 से 12 तक में प्रति वर्ग (Section) निर्धारित अधिकतम 60 प्रवेश की सीमा से अधिक कक्षा–कक्ष की क्षमता के अनुसार प्रवेश दे सकेंगे।

4- यदि बिन्दु संख्या–1 से 3 के अनुसार बढ़ाई गई सीमा से अधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो विद्यालय में स्थान/कक्षों की उपलब्धता के अनुसार एक से अधिक वर्ग (Section) खोले जा सकेंगे।

समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि :–

1- विद्यालय में पर्याप्त स्थान होने पर उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए तथा प्रवेश देने से किसी भी विद्यार्थी को इनकार नहीं किया जाए।

2- प्रवेशोत्सव के दौरान उक्तानुसार निर्धारित संशोधित प्रवेश की संख्या के अनुसार प्रवेश करवाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
9064345

3- जिन कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को बैठाए जाने हेतु उपलब्ध स्थान के आधार पर गणना उपरान्त प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार बढ़ी हुई संख्या तक लॉटरी के रिजर्व आवेदनों में से लॉटरी क्रम में पूर्व शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें।

शेष शर्तें पूर्व जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

(आशीष मोदी)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / मा / माध्य / मा–द / अंग्रेजी माध्यम / प्रवेश / 66181 / 2022–23 / (E File-02360)
दिनांकः यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3- राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6- वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
7- समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
8- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माध्यमिक / प्रारम्भिक।
10- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
12- **उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ),** राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर / **सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ,** माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14- वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
15- पीईईओ / यूसीईईओ / संस्था प्रधान।
16- रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

RajKaj Ref
9064345

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :21-07-2024 12:25:36